न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 04/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00004)

हनीफ पुत्र शौकीन खां जाति मुसलमान निलगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक
2. सदीकन दुख्तर शौकीन खां जाति मुसलमान निलगर निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मदीना उर्फ मैमुना दुख्तर शौकीन खां जाति मुसलमान निलगर निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मदीना पत्नि इशाक खां जाति मुसलमान निलगर निवासी नोहर, हनुमानगढ।
5. मोहम्मद अब्बास पिसरान लाल मोहम्मद जाति मुसलमान निलगर निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
6. अजर पिसरान लाल मोहम्मद जाति मुसलमान निलगर निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
7. अल्ताफ पिसरान लाल मोहम्मद जाति मुसलमान निलगर निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
8. मुश्ताक पिसरान लाल मोहम्मद जाति मुसलमान निलगर निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
9. ईशाक पिसरान शोकिन खां मुसलमान निलगर निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
10. अदरीस पिसरान शोकिन खां मुसलमान निलगर निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
11. असगर पिसरान शोकिन खां मुसलमान निलगर निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
12. मोहिनी बेगम पत्नि शौकिन खां जाति मुसलमान सा. नोहर हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः

1. श्री गगन मोदी	–	अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री चर्तुभुज सारस्वत	–	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली	–	राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 24–02–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 11.12.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार नोहर के इन्तकाल सं. 582 दिनांक 13.01.2015 के विरूद्व अति. जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश कर उसे निरस्त कर सुन्नी मुस्लिम विधि के अनुसार हक व हिस्सा के अनुसार नामान्तरण करने का निवेदन किया, जिस पर अति. जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.12.2015 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस कर कहा कि शौकिन खां पुत्र अब्दुल शकुर के नाम से नोहर के चक 28 एन टी आर में प. नं. 320/417 (22) के किला नं. 24, 25 पत्थर नं. 321/417 (25) के किला नं. 21 पत्थर सं. 320/418 (31) में किला नं. 3 ता 8,13 ता 18, 23 ता 25 व 810/1 की कुल तादादी 19 किता किला की 4.5540 हैक्टर नहरी भूमि थी, उनके देहान्त के बाद उनके वारिसो में मुस्लिम विधि (सुन्नी) के अनुसार इन्तकाल दर्ज होना चाहिए था लेकिन तहसीलदार नोहर ने उक्त भूमि का इन्तकाल हिन्दु विधि उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार कर दिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अति. जिला कलक्टर नोहर में अपील पेश की, अति. जिला कलक्टर नोहर ने तहसीलदार नोहर का निर्णय यथावत रखते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी जो गलत है। मुस्लिम विधि में सभी व्यवस्थाए मुस्लिम विधि में सुन्नी या शिया पथ के अनुसार ही होती है तथा नियम लागू होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में स्पष्ट है कि मुस्लिम काश्तकारो कें उत्तराधिकारी के अधिकार मुस्लिम विधि के अनुसार होगे। अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम विधि का अध्ययन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर मातहत अदालत दोयम का निर्णय दिनांक 13.01.2015 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 11.12.2015 को निरस्त कर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मुस्लिम विधि सुन्नी पद्वति के अनुसार निर्णय पारित किए जाने का आदेश प्रदान करे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरणकरण हिन्दू विधि से दर्ज किया है जो सही है। पक्षकारान मुस्लिम अवश्य है परन्तु व्यवहार व सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में हिन्दू विधि का ही उपयोग होता है। तहसील नोहर क्षेत्र में सभी मुस्लिमो के सम्पत्ति में हिन्दू विधि का ही उपयोग होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट अपील की खारिज की जावे ।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट मुस्लिम (सुन्नी) है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में निंवसीयती व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके हित उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार निर्धारित होंगे। अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 582 दिनांक 13.01.2015 का निर्णय करते समय उक्त कानूनी प्रावधान पर गौर नही किया गया। जिसके विरूद्व प्रस्तुत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2015 में भी नामान्तकरण को फिस्कल प्रोसिडिंग मानते हुए अपील खारिज की गई है. जबकि नामान्तकरण सं. 582 खातेदार के व्यक्तिगत कानून के आधार पर ही दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए नामान्तकरण सं. 582 दिनांक 13.01.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 11.12.2015 को कायम रखा जाना न्यायोचित नही होने के आधार पर अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि खातेदार के व्यक्तिगत कानून के अनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर